

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-715(10)ब दिनांक-24.07.2017 तथा शुद्धि पत्र संख्या-960(10) दिनांक-17.10.2017 के क्रम में आवंटनादेश संख्या-38(7)ब, दिनांक-28.07.2017 में अधोलिखित संशोधन किया जाता है:-

2. आवंटनादेश की कंडिका-4 में वर्णित "इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी०एल० खाता संख्या-PLA-244 एवं विपत्र कोड- K8448001110002 में सुलभ करायेंगे" के स्थान पर "इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म संख्या-26 में कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निगम के पी०एल० खाता संख्या-PLA-244 एवं विपत्र कोड- K8448001110002 में सुलभ करायेंगे" पढ़ा जाय ।

3. शेष यथावत रहेंगे ।

(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक : 101(7)द

/पटना, दिनांक : 05-12-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना / कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10 एवं 7/प्रशाखा के अन्य सभी सहायक/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।